परिपत्र – 1

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(कमांक 27 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताडना का प्रतिशेध अधिनियम 2001

राज्य की शैक्षणि संस्थाओं में रैगिंग तथा उनसे संबंधित मामलों और आनुषांगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियम हो अर्थात :

संक्षिप्त नाम,प्रारंभ तथा क्षेत्र

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छ.ग. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताडना का प्रतिशेध अधिनियम, विस्तार 2001(कं.27 सन्2001) होगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा ।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें ।

परिभाषा

2. इस अधिनियम में, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) "रैगिंग" से अभिप्राय है किसी छात्रा को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो या किसी विधिपूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना आपराधिक दोषपूर्ण अवरोध दोषपूर्ण परिरोध या उसे क्षति पहुचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी दोषपूर्ण अवरोध दोषपूर्ण प्ररिरोध क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना ।

(ख) शैक्षणिक संस्था से अभिप्राय है राज्य की कोई भी शासकीय अथवा अशासकीय शैक्षणिक संस्था।

रैगिंग का प्रतिषेध दण्ड

3. किसी शैक्षणिक संस्था का छात्रा या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगी

4. यदि कोई व्यक्ति धार–3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंद्यन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से जो 5 हजार रूपये से अधिक नहीं होगी या दोनों से दंडित किया जा सकेगा ।

अपराध संज्ञेय अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होना अपराधों

5. इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा ।

अपराधो का विचारण

6. (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जावेगा ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उपराधों के अन्वेक्षण जॉच एवं विचारण में अपराध प्रकिया संहिता 1973 (कमांक 2 सन् 1974) के उपबंध लागू होंगे ।

छात्र के निष्कासन के लिए

7. (1) इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को,इस नियोग्यता,अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश वर्जित करने का अधिकारी होगा ।

(2) किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र जो धारा–4 के अधीन सिद्ध दोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिए जिम्मेदार होगा ।

(3) ऐसा छात्र जो निष्कासित किया गया हो या अन्य व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

कमांक डी 455/21 अ.(प्रारूपण)/2002 रायपुर दिनांक 17 फरवरी 2002 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड के अनुसरण में छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम,2001 (क 27 सन 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार के एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
टी.सी. यदु. अतिरिक्त सचिव